

**बिहार सरकार**  
**मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग**

अधि० सं०-मं०-01/आर०-05/2009 (खंड).....1135.....दिनांक- 19 अगस्त, 2013

-:: अधिसूचना ::-

भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय-समय पर यथा संशोधित) में तुरंत के प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

-:: संशोधन ::-

1. बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय-समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची के क्रमांक-“35 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग” के अधीन क्रमांक-5 में उल्लिखित बिहार राज्य जल परिषद् को विलोपित करते हुए इसे प्रथम अनुसूची के क्रमांक-“16 नगर विकास एवं आवास विभाग” के अधीन एक नये क्रमांक-21 के रूप में तथा प्रथम अनुसूची के क्रमांक-“25 उद्योग विभाग” के अधीन क्रमांक-10(xii) में उल्लिखित “बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम” को विलोपित करते हुए इसे प्रथम अनुसूची के क्रमांक-“39 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग” के अधीन एक नये क्रमांक-11 के रूप में जोड़ा जायगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(विनोद कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- मं०-01/आर०-05/2009 (खंड).....1135.....दिनांक- 19 अगस्त, 2013

प्रतिलिपि:- राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी मंत्रियों के आप्त सचिव/सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार झा)  
सरकार के संयुक्त सचिव

16/8/13